

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

: : विविध आदेश : :

क्रमांक : 139/लेखा/2024

रतलाम, दिनांक 11/03/2024

जिला स्थापना रतलाम पर न्यायालय समय पूर्व एवं न्यायालय समय पश्चात् न्यायालयों/अनुभागों में साफ-सफाई के संबंध में सप्ताह में कम से कम 02 बार औचक निरीक्षण किये जाने हेतु श्री मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रतलाम, एवं श्री मनीष अनुरागी, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, रतलाम को अधिकृत किया जाता है।

न्यायिक अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किये जाने के पश्चात् उपस्थित कर्मचारीगण के द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.

रतलाम, दिनांक 11/03/2024

पृष्ठांकन क्रमांक 745/लेखा/2024

प्रतिलिपि -

- (1) श्री मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय रतलाम।
- (2) श्री मनीष अनुरागी, रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट, जिला न्यायालय रतलाम
- (3) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग रतलाम की ओर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- (4) लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रतलाम म.प्र.